<u>प्रेस नोट-</u>

<u>थाना प्रेमनगर, झाँसी</u>

<u>दिनाँक 25.12.2025</u>

➢ थाना प्रेमनगर पर आबकारी अधिनियम के 171 अभियोगों में बरामद करीब 1,500 लीटर अवैध शराब का किया गया विनष्टीकरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के क्रम में आज दिनांक 25.12.2025 को थाना प्रेमनगर पर आबकारी अधिनियम के कुल 171 अभियोगों में बरामद करीब 1,500 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

थाना प्रेमनगर पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित दाखिल माल/अवैध शराब के विनिष्टीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय, झाँसी से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 171 अभियोगों में लगभग 1,500 लीटर अवैध शराब को नष्ट करने हेतु आदेश प्रदान किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये आज दिनाँक 25.12.2025 को थाना स्थानीय के मालखाना में दाखिल आबकारी अधिनियम के 171 अभियोगों से सम्बन्धित करीब 1,500 लीटर अवैध शराब का नियमानुसार वीडियोग्राफी व पंचनामा करते हुये 1. नगर मजिस्ट्रेट महोदय श्री अजय कुमार (ए०सी०एम०) 2. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम झांसी श्री अजय कुमार व 3. प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर श्री तुलसीराम पाण्डेय व थाना स्थानीय पर नियुक्त अन्य पुलिस बल की मौजूदगी में थाना प्रेमनगर में जमीन के अन्दर पर्याप्त गड्ढा खोदकर विनष्टीकरण किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान पर्यावरण का पूर्ण ध्यान रखा गया।

<u>नष्ट किये गये माल का विवरण-</u> 171 अभियोग से सम्बन्धित लगभग 1,500 लीटर अवैध शराब

<u>विनष्टीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित टीम का विवरण-</u>

1. नगर मजिस्ट्रेट महोदय, श्री अजय कुमार (ए०सी०एम०)
2. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम झांसी, श्री अजय कुमार
3. प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर, श्री तुलसीराम पाण्डेय व अन्य पुलिस बल